1/1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामरख

1/1. सीताराम पुत्र स्व0 रामरख

1/3. ममता पुत्री स्व0 रामरख

1/4. कान्ता पुत्री स्व0 रामरख

समस्त जाति गुर्जर निवासी सबलपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

2. उप पंजीयक लवाण जिला दौसा

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण।

उप जिला कलक्टर एवं सहायक कलक्टर लवाण (प्रति...)

वाद पत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :-

1. श्री योगेश जाकड,, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अभिषेक तिवाडी, अंधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4

:: निर्णय :: दिनांक : 01.07.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम सबलपुरा तहसील दौसा हाल तहसील लवाण जिला दौसा मे स्थित आराजी ख.न. 392, 393, 394, 395, 396, 397 कुल किता 06 कुल रकवा 3.16 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है एवं जिसका विभाजन [illegible] पर हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण बिना तकासमा कराये ही भूमि का विक्रय करने पर आमादा है। बिना तकासमा हुए भूमि के बेचान को रोकने, वादी के अधिकारों को संरक्षण करने हेतु एक वाद न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त खसरा नम्बरानों का तकासमा कब्जे व हिस्से अनुसार फरमाकर, कब्जे अनुसार अलग-अलग खातेदारी एवं पर्चा पासबुक जारी करने का निवेदन किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रकरण में विवादित भूमि पर पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुये भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैंप दौसा का आदेश दिनांक 4.3.2021 एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2019 को अपास्त करते हुए निर्देश दिये की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, मूल वाद सं. 35/2018 उनवानी रामनिवास बनाम रामरख वगैरा का पक्षकार की ओर से प्रस्तुत मूल राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे एवं उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनाम तस्दीक करवाने हेतु उपस्थित होवे।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी दौसा से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के निर्देशो की पालना में स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया।

इस न्यायालय को प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश जाकड उपस्थित हुए, प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवाडी उपस्थित हुए। वकील उभयपक्षकारान द्वारा अपने-अपने पक्षकारान की पहचान की गई। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4 ने राजीनाम को स्वीकार किया एवं अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने भी राजीनामा अनुसार कथन किया कि ग्राम सवलपुरा तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 392, 393, 394, 395, 396, 397 वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4 के पिता की हिस्सा बराबर 1/2-1/2 भूमि है। उक्त भूमि के नजरी नक्शे अनुसार दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:46 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
लवाण

भाई के परिवार वालों ने गांव के पंच पटेलो व रिश्तेदारो ने बैठकर यह राजीनामा तय किया है कि उक्त खसरा नम्बरानों मे से ख.न. 392, 393, 394 की साईड का सम्पूर्ण हिस्सा स्व. श्री रामरख के वारिसान (प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4) का रहेगा एवं ख.न. 395, 396, 397 की साईड का सम्पूर्ण हिस्सा रामनिवास का रहेगा एवं दोनो अपने–अपने हिस्से पर कायम रहेंगे एवं किसी भी प्रकार से एक दुसरे के हिस्से में दखल अन्दाजी नही करेंगे और नजरी नक्शें में दर्शाये रंग के अनुसार कायम रहेंगे। किसी भी प्रकार का न्यायालय में विवादित जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है तो दोनो पक्ष आपसी सहमति से न्यायालय में जाकर उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व दुरूस्ती का दावा पेश करने को बाध्य रहेंगे। उक्त विवादित भूमि में अगर कोई न्यायालय में दुरूस्ती दावा करके जमीन आती है या जाती है तो दोनो पक्षों की बराबर–बराबर जायेगी एवं बराबर आयेगी। उक्त बात से दोनो पक्ष सहमत है व दोनो पक्ष अपनी उक्त जमीन का रिकॉर्ड व दुरूस्त करवाने में सहमत है। अतः उक्त राजीनामा के अनुसार दोनो पक्षों ने पूर्ण होश हवाश व बिना किसी दबाव के किये गये राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रस्तुत राजीनामा एवं बहस पर मनन किया की ग्राम सबलपुरा तहसील लवाण स्थित ख.न. 392, 393, 394, 395, 396, 397 वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4 के पिता की बराबर हिस्से की खातेदारी भूमि थी। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा अनुसार उक्त खसरा नम्बरो में वादी का **हिस्सा 1/2** एवं प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 का **हिस्सा 1/2** रहेगा। उक्त खसरा नम्बरानों मे से ख.न. 392, 393, 394 का सम्पूर्ण हिस्सा स्व. श्री रामरख के वारिसान (प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4) का रहेगा एवं ख.न. 395, 396, 397 का सम्पूर्ण हिस्सा वादी रामनिवास का रहेगा एवं दोनो अपने–अपने हिस्से पर कायम रहेंगे एवं किसी भी प्रकार से एक दुसरे के हिस्से में दखल अन्दाजी नही करेंगे और नजरी नक्शें में दर्शाये रंग के अनुसार कायम रहेंगे। यदि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो दोनो पक्षकार आपसी सहमती से न्यायालय में वाद दायर करने [illegible] रहेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 54/2022
निर्णय दिनांक :– 01.07.2022

राजीनाम पर दोनो पक्षकारो ने आपसी सहमति व्यक्त की है एवं राजीनामा को दोनो पक्षो ने पूर्ण होश हवाश व बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध विवादित भूमि के राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम सबलपुरा तहसील लवाण जिला दौसा स्थित भूमि ख.न. 392, 393, 394, 395, 396, 397 पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 द्वारा प्रस्तुत राजीनाम को उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 की बाद तस्दीक प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त ख.न. 392, 393, 394 का सम्पूर्ण हिस्सा स्व. श्री रामरख के वारिसान (प्रतिवादीगण सं. 1/1 लगायत 1/4) का रहेगा एवं ख.न. 395, 396, 397 का सम्पूर्ण हिस्सा वादी रामनिवास का रहेगा एवं अपने–अपने हिस्से पर नजरी नक्शे अनुसार कायम रहेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना किये जाने में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राहिन दर्ज की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:48:46 IST
Reason: SelfAttested